पत्रांक–3 रा.पु.–609/2008 का.

झारखण्ड सरकार
कार्मिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

रतन कुमार

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सचिव,

गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना।

राँची, दिनांक– 19 जुलाई, 2008

विषय : अन्तिम संवर्ग विभाजन के बाद पारस्परिक आधार पर राज्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप वरीयता निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में राज्य सेवा/संवर्ग के कर्मियों द्वारा अंतिम संवर्ग विभाजन के पश्चात् पारस्परिक आधार पर राज्य स्थानान्तरण के बाद वरीयता निर्धारण का मामला विचाराधीन था। इस संबंध में सचिव गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को भी विभागीय पत्रांक–5104 दिनांक 28.09.07 द्वारा अविलम्ब स्पष्ट मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी थी। लेकिन मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। वरीयता निर्धारण के बिन्दु पर स्पष्ट आदेश निर्गत नहीं रहने के कारण आए दिन राज्यकर्मियों को प्रोन्नति देने में कठिनाई हो रही थी। अत: मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रासंगिक बिन्दु परझारखंड राज्य के विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया, जो निम्नवत् है–

"It is a settled princple of service Jurisprudence that where a person is transferred form one cadre to another on his own request he losses his seniority and he is placed at the bottom of the cadre where he has been transferred on his own will."

महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में निर्णय हुआ है कि अंतिम संवर्ग विभाजन के पश्चात् पारस्परिक स्थानान्तरण के आधार पर झारखण्ड आने वाले कर्मचारियों को मूल वरीयता का लाभ नहीं मिलेगा तथा वे अपने कोटि में अन्य बैच अथवा एक सम्व्यवहार में नियुक्त कर्मियों की तुलना में सबसे कनीय संवर्ग।

अत: अनुरोध है कि पारस्परिक आधार पर झारखण्ड आने वाले इच्छुक संवर्ग को उक्त निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह.

(रतन कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–उस.पु. 609/2008 का. 4450 रांची, दिनांक 19 जुलाई, 2008

प्रतिलिपि–सभी प्रधान सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रतन कुमार)

सरकार के उप सचिव